भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5694

दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन

†5694. डॉ. मल्लू रविः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के उस निर्देश की जानकारी है, जिसके अंतर्गत आधुनिक औषध विज्ञान में प्रमाणपत्र धारक होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवाइयां लिखने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही उक्त निर्देश के संबंध में सरकार का क्या पक्ष है; और

(ग) देश में रोगियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य देखरेख पद्धतियों पर इसके प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित आधुनिक औषध विज्ञान में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम पूरा करने वाले होम्योपैथिक चिकित्सक महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1965 (2014 में यथा संशोधित है) की धारा 2(घ) के तहत पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी (आरएमपी) की परिभाषा में आते हैं, जिससे वे एलोपैथिक दवाओं का नुस्खा लिखने के योग्य हो जाते हैं। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने दवा खुदरा विक्रेताओं को इन पंजीकृत चिकित्सकों के नुस्खे के आधार पर दवाएँ देने का निर्देश दिया है। इस निर्देश को बम्बई उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है और यह मामला विचाराधीन है।

****